

न्यायालय – मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला-बैतूल (म.प्र.)

—: विविध आदेश :—

(संशोधित आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक वर्ष-2019)

क्रमांक -क्यु./सी.जे.एम./2019

बैतूल, दिनांक 14/05/2019

मैं ए.के. दंदेलिया, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल, जिला बैतूल, प्रशासनिक कार्य एवं सुविधा की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 15 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **मुख्यालय बैतूल** एवं **तहसील मुलताई/मैंसदेही/आमला** के न्यायिक मजिस्ट्रेटों के स्थानांतरण होने एवं नवीन पीठासीन अधिकारियों की पदस्थापना होने से, पूर्व कार्य विभाजन अतिष्ठित करते हुये, नवीन कार्य विभाजन निम्नानुसार करता हूँ, जो कि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन किये जाने के उपरान्त से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा:—

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	आरक्षी केन्द्र/प्रकरण का स्वरूप व क्षेत्राधिकार
(1)	(2)	(3)
1	ए.के. दंदेलिया मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल	<ol style="list-style-type: none"> 1. आरक्षी केन्द्र— कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल एवं सारणी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले, पाँक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर, समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण। 2. सम्पूर्ण बैतूल जिले के आरक्षी केन्द्रों से सम्बन्धित अपराधों की खारजा प्रतिवेदन (F.R.)। 3. आरक्षी केन्द्र कोतवाली बैतूल, थाना गंज बैतूल एवं थाना सारणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न म.प्र. आबकारी अधिनियम (जिनमें 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) से संबंधित प्रकरण। 4. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय को छोड़कर जिले के सभी मजिस्ट्रेटों द्वारा धारा 195 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद पत्र। 5. सम्पूर्ण बैतूल जिले के बालक श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम 1986, श्रम विधि (संशोधन) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 2002, औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण। 6. आर.टी.ओ. बैतूल/यातायात विभाग बैतूल द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभियोग-पत्र एवं परिवाद-पत्र। 7. तहसील बैतूल के क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 से सम्बन्धित प्रकरण। 8. सम्पूर्ण बैतूल जिले से उत्पन्न होने वाले नगरपालिका अधिनियम, नापतौल अधिनियम, दुकान एवं संस्थान अधिनियम, फैंक्ट्री अधिनियम, एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अल्प मात्रा के मादक पदार्थ से संबंधित प्रकरण (जो विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं हैं)। 9. ऐसे समस्त प्रकरण, जिनका उल्लेख इस आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक में नहीं है।
2	अनीता खजुरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	<ol style="list-style-type: none"> 1. तहसील बैतूल के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण भी शामिल हैं) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।

A

3. श्री अतुलराज भलावी,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी, बैतूल
2. आरक्षी केन्द्र कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल, सारणी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भारतीय दण्ड विधान के परिवादपत्र।
 3. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
4. श्री गौतम सिंह मरकाम,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी, बैतूल
1. आरक्षी केन्द्र-रानीपुर, बीजादेही के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले, पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर, समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण।
 2. आरक्षी केन्द्र-रानीपुर, बीजादेही, सारणी के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद-पत्र।
 3. आरक्षी केन्द्र रानीपुर, बीजादेही के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भारतीय दण्ड विधान के परिवादपत्र।
 4. आरक्षी केन्द्र रानीपुर, बीजादेही के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) से संबंधित प्रकरण।
 5. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
5. श्री दीनानाथ वाडिवा
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी, बैतूल
1. आरक्षी केन्द्र-शाहपुर, बैतूल-बाजार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रकरण।
 2. आरक्षी केन्द्र-शाहपुर, बैतूल-बाजार के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र।
 3. आरक्षी केन्द्र शाहपुर, बैतूल-बाजार के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) से सम्बन्धित समस्त प्रकरण।
 4. तहसील मुलताई, भैसदेही, आमला के वन विधि एवं उत्खनन विधि के अपराधों से संबंधित प्रकरणों को छोड़कर जिला बैतूल के वन विधि एवं उत्खनन विधि के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
 5. ग्राम न्यायालय से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण।
 6. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
1. आरक्षी केन्द्र-जी.आर.पी. आमला के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण।
2. आरक्षी केन्द्र जीआरपी आमला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भारतीय दण्ड विधान के परिवादपत्र।
 3. आरक्षी केन्द्र-कोतवाली बैतूल, गंज बैतूल के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के परिवाद-पत्र।
 4. आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी. आमला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) से सम्बन्धित समस्त प्रकरण।
 5. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

6 श्रीमती सुनीता ताराम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैतूल

1. आरक्षी केन्द्र—**चिचोली** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रकरण।
2. आरक्षी केन्द्र—**चिचोली** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद—पत्र।
3. आरक्षी केन्द्र—**चिचोली** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) से सम्बन्धित समस्त प्रकरण।
4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

7 सुश्री श्वेता खरे
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैतूल

1. आरक्षी केन्द्र—**चोपना** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रकरण।
2. आरक्षी केन्द्र—**चोपना** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद—पत्र।
3. आरक्षी केन्द्र **चोपना** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) समस्त प्रकरण।
4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

8 श्रीमती रंजीता राव
सोलंकी,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी, मुलताई, जिला—बैतूल

1. आरक्षी केन्द्र—**मुलताई एवं साईखेड़ा** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रकरण।
2. **मुलताई**—के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से एवं **थाना—बोरदेही, साईखेड़ा** से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी मुलताई के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।
3. तहसील **मुलताई, साईखेड़ा** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) समस्त प्रकरण, म.प्र. सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 से सम्बन्धित प्रकरण।
4. आरक्षी केन्द्र **मुलताई साईखेड़ा** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद—पत्र।
5. आरक्षी केन्द्र—**मुलताई, बोरदेही एवं साईखेड़ा** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/धारा 125,127 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रस्तुत प्रकरण।
6. तहसील मुलताई के समस्त रिक्त न्यायालय/न्यायालयों (मुलताई) से सम्बन्धित समस्त प्रकरण।
7. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय—समय पर अंतरित किये जाने वाले आपराधिक प्रकरण।
8. तहसील मुख्यालय मुलताई के वन विधि एवं उत्खनन विधि के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।

Ⓟ

- 9 **श्रीमति कमला गौतम,**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
मुलताई, जिला- बैतूल
1. आरक्षी केन्द्र-**बोरदेही** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रकरण।
 2. तहसील **बोरदेही** क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) समस्त प्रकरण, म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 से सम्बन्धित प्रकरण।
 3. आरक्षी केंद्र **बोरदेही** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र।
 4. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
- 10 **श्री धर्मेन्द्र खण्डायत**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला,
1. आरक्षी केन्द्र-**आमला** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण एवं खात्मा प्रकरण।
 2. आरक्षी केन्द्र-**आमला** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत (जिनमे 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
 3. तहसील-आमला से उत्पन्न होने वाले, म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 से संबंधित प्रकरण।
 4. समस्त रिक्त न्यायालय/न्यायालयों (आमला) से सम्बन्धित समस्त प्रकरण।
 5. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
- 11 **श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा,**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला, जिला-बैतूल
1. आरक्षी केन्द्र **आमला** के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भारतीय दण्ड विधान के अंतर्गत प्रस्तुत परिवादपत्र।
 2. **थाना-आमला** के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।
 3. **तहसील आमला** के वन विधि एवं उत्खनन विधि के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
 4. आरक्षी केन्द्र-आमला के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/धारा 125 व 127 द.प्र.सं., से सम्बन्धित प्रकरण।
 5. आरक्षी केन्द्र-**आमला** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के तहत परिवाद-पत्र।
 6. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।
- 12 **श्रीमती मंजूषा तेकाम**
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैसदेही, जिला-बैतूल
1. आरक्षी केन्द्र-**भैसदेही एवं झल्लार** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रकरण।
 2. आरक्षी केन्द्र-**भैसदेही एवं झल्लार** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र।
 3. आरक्षी केन्द्र-**भैसदेही एवं झल्लार** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम (जिनमे 50 बल्क लीटर

से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।

4. **तहसील भैसदेही** के अंतर्गत आने वाले समस्त आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न महिलाओं के विरुद्ध अपराधों (जिसमें घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है) के संबंध में न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी बैतूल के क्षेत्राधिकार के समस्त उद्भूत प्रकरण।
5. **आरक्षी केन्द्र-भैसदेही एवं झल्लार** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/धारा 125 व 127 द.प्र.सं., से सम्बन्धित प्रकरण।
6. **तहसील-भैसदेही तथा झल्लार क्षेत्र एवं आरक्षी केन्द्र चिचोली की चौकी भीमपुर** जो तहसील भैसदेही के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र.सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 से सम्बन्धित प्रकरण।
7. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

13 **श्री विनोद कुमार**
अहिरवार
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
श्रेणी, **भैसदेही, जिला-बैतूल**

1. आरक्षी केन्द्र-**आठनेर, मोहदा** के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उत्पन्न होने वाले पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत उद्भूत प्रकरण छोड़कर समस्त प्रकार के आपराधिक प्रकरण, परिवाद पत्र एवं खात्मा प्रकरण।
2. आरक्षी केन्द्र-**आठनेर, मोहदा** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत परिवाद-पत्र।
3. आरक्षी केन्द्र-**आठनेर, मोहदा** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत (जिनमें 50 बल्क लीटर से अधिक शराब की मात्रा वाले प्रकरण भी शामिल हैं) प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
4. आरक्षी केन्द्र-**आठनेर, मोहदा** के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले भरण पोषण/ धारा 125 व 127 द.प्र.सं., से सम्बन्धित प्रकरण।
5. **तहसील भैसदेही** के वन विधि एवं उत्खनन विधि के अपराधों से संबंधित प्रस्तुत होने वाले समस्त प्रकरण।
6. समस्त रिक्त न्यायालय/न्यायालयों (भैसदेही) से सम्बन्धित समस्त प्रकरण।
7. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण।

नोट :-

1. बैतूल जिले में पदस्थ सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल से अनुमति प्राप्त कर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल को सूचना देकर प्रत्येक माह में अपने न्यायालय का न्यायिक कार्य प्रभावित किये बिना चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
2. इस कार्य विभाजन पत्रक का प्रभाव उन प्रकरणों, परिवाद-पत्र, विविध प्रकरण व आवेदनों पर नहीं पड़ेगा, जो सम्बन्धित न्यायालय में पूर्व से लम्बित हैं एवं जिनका निराकरण करने के लिये वह न्यायालय सक्षम हैं।
3. समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेट माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेंगे तथा प्रस्थान करने के तीन दिवस पूर्व इसकी सूचना मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं प्रभारी मजिस्ट्रेट को भी देंगे।
4. द.प्र.सं. की धारा 176 (1 क) के अन्तर्गत मृत्यु के कारण की जांच जिस मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर या जिसके द्वारा प्राधिकृत अभिरक्षा में अपराध किया गया है या जिसको इस हेतु अधिकृत किया जाता है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की

जावेगी।

5. परिशिष्ट--"अ", परिशिष्ट--"ब", परिशिष्ट--"स", परिशिष्ट--"द" इस आपराधिक कार्य विभाजन पत्रक के अंग समझे जावेगे।
6. किसी भी मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या किसी कर्तव्य में व्यस्त रहने की दशा में उनके क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केन्द्र से उत्पन्न होने वाले अत्यावश्यक प्रकृति के आपराधिक प्रकरण परिशिष्ट--"अ", परिशिष्ट--"ब" एवं परिशिष्ट--"द" में उनके नाम से अगले क्रम में दर्शाये गये मजिस्ट्रेटों के न्यायालय में प्रस्तुत किये जा सकेंगे और वे उन्हें अपने न्यायालय में पंजीबद्ध करके उनका विधि अनुसार निराकरण कर सकेंगे।
7. रिक्त न्यायालयों के सम्बन्ध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, के मान्नीय अपीलीय न्यायालयों से प्राप्त होने वाले निर्देशों का पालन, अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के पालन में सजा वारण्ट व जेल वारण्ट का बनाया जाना इत्यादि सभी सम्बन्धित कार्य एवं उनके न्यायालयों के द्वारा पारित धारा 125, 127 एवं 128 द.प्र.सं. के आदेशों के तहत जमा की जाने वाली राशि एवं वापसी से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही एवं आवश्यक कार्यों का विचारण जिला मुख्यालय बैतूल पर श्रीमती अनीता खजूरिया, तहसील न्यायालय मुलताई पर श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, तहसील न्यायालय भैसदेही पर श्री विनोद कुमार अहिरवार तथा तहसील न्यायालय आमला पर श्री धर्मेन्द्र खण्डायत करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट "अ" में दर्शाये उनके प्रभार अनुसार करेंगे।
8. रिक्त न्यायालयों के सम्बन्ध में ऐसे न्यायालय जो वर्तमान में रिक्त हैं, उनके द्वारा जारी किये गये **स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट** का निराकरण वर्तमान कार्य विभाजन पत्रकानुसार आरक्षी केन्द्र से संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले पीठासीन अधिकारी द्वारा किया जावेगा।

--:: सामान्य निर्देश ::--

1. न्यायिक कार्य करते समय मजिस्ट्रेट इस तथ्य को विशेष ध्यान में रखेंगे कि उनके द्वारा उन्हें कॉलम नंबर 03 में प्रदत्त क्षेत्राधिकारिता के अनुरूप ऐसे प्रकरणों को छोड़कर ही न्यायिक कार्य किया जावे, जिनकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार विशेष न्यायालय को है या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल को है एवं कार्य विभाजन पत्रक में क्षेत्राधिकारिता से सम्बन्धित कोई भ्रम की स्थिति निर्मित होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम होगा।
2. किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने पर या पद रिक्त होने पर या किसी कार्य में व्यस्त रहने की दशा में उनके न्यायालय में प्रस्तुत स्वीकृति से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों का निराकरण उनके न्यायालय के इंचार्ज मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत किया जाएगा।
3. यदि कोई मजिस्ट्रेट अवकाश पर रहते हैं या स्थानांतरण हो जाने के कारण या अन्य किसी कारण से उनका पद रिक्त रहता है, तो ऐसी स्थिति में कार्य व्यवस्था के अन्तर्गत निर्दिष्ट किये गये मजिस्ट्रेट का नाम स्वतः ही पदस्थापित माना जायेगा।

(ए.के. दंदेलिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला-बैतूल (म.प्र.)

--:: परिशिष्ट -- 'अ' ::--

इस सारणी में बताये गये पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दशा में उनके नामों के समक्ष (क्रम में) दर्शाये गये मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे :

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.-02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	ए.के. दंदेलिया C.J.M., Betul	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul	अनीता खजूरिया J.M.F.C., Betul	श्री अतुलराज मलावी J.M.F.C., Betul
2	अनीता खजूरिया J.M.F.C., Betul	श्री अतुलराज मलावी J.M.F.C., Betul	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul
3	श्री अतुलराज मलावी J.M.F.C., Betul	अनीता खजूरिया, J.M.F.C., Betul	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul	शुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul

4	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul	अनीता खजुरिया J.M.F.C., Betul
5	श्री दीनानाथ वाड्डिवा J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	श्रीमती सुनीता ताराम, J.M.F.C., Betul	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul
6	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	श्री दीनानाथ वाड्डिवा J.M.F.C., Betul	अनीता खजुरिया, J.M.F.C., Betul
7	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul	श्री दीनानाथ वाड्डिवा J.M.F.C., Betul	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul
8	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C., Multai	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C., Multai	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul
9	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C., Multai	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul
10	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., Bhaisdehi	श्री विनोद कुमार अहिरवार J.M.F.C., Bhaisdehi	अनीता खजुरिया J.M.F.C., Betul	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul
11	श्री विनोद कुमार अहिरवार J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., Bhaisdehi	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul
12	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत J.M.F.C. Amla	श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा J.M.F.C., Amla	श्रीमती कमला गौतम, J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C., Multai
13	श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा J.M.F.C., Amla	श्री धर्मेन्द्र खण्डायत, J.M.F.C., Amla	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C., Multai	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C., Multai

नोटः—

- उपरोक्त कॉलम नम्बर 03, 04 व 05 नामांकित मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नं० 02 में दर्शित मजिस्ट्रेट के न्यायालय का आवश्यक आपराधिक कार्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा संपादित किया जायेगा।
- प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड के अवकाश पर रहने पर किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा तथा किन्ही कारण वश उनके भी अनुपस्थित रहने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बैतूल द्वारा कार्य संपादित किया जावेगा।

(ए.के. दंदेलिया)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला—बैतूल (म.प्र.)

—: परिशिष्ट — 'ब' :—

इस सारणी में बताये गये पदस्थ क्रमांक-02 के मजिस्ट्रेट से संबंधित आरक्षी केन्द्रों से उद्भूत धारा 164 द.प्र.सं. के आवेदन-पत्रों का निराकरण एवं कथनों का अमिलेखन कॉलम नम्बर-03 में दर्शाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, तथा कॉलम नम्बर-3 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नम्बर-4 में दर्शाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नम्बर-4 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में कॉलम नम्बर-5 में दर्शाए गये न्यायिक मजिस्ट्रेट, और कॉलम नम्बर-5 में दर्शाये गये मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में बैतूल मुख्यालय पर उपस्थित रहे वरिष्ठ मजिस्ट्रेट द्वारा किया जायेगा।

अनु. क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.-02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1	ए.के. दंदेलिया C.J.M., Betul	श्री दीनानाथ वाड्डिवा J.M.F.C., Betul	अनीता खजुरिया J.M.F.C., Betul	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul
2	अनीता खजुरिया J.M.F.C., Betul	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul
3	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul	अनीता खजुरिया, J.M.F.C., Betul	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul

4	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul	अनीता खजूरिया J.M.F.C., Betul
5	श्री दीनानाथ वाड्डिवा J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	श्रीमती सुनीता ताराम, J.M.F.C., Betul	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul
6	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	श्री दीनानाथ वाड्डिवा J.M.F.C., Betul	अनीता खजूरिया, J.M.F.C., Betul
7	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul	श्री दीनानाथ वाड्डिवा J.M.F.C., Betul	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul
8	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C., Multai	श्रीमति कमला गौतम J.M.F.C., Multai	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul
9	श्रीमति कमला गौतम J.M.F.C., Multai	श्रीमती रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C., Multai	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul	श्री गौतम सिंह मरकाम J.M.F.C., Betul
10	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., Bhaisdehi	श्री विनोद कुमार अहिरवार J.M.F.C., Bhaisdehi	अनीता खजूरिया J.M.F.C., Betul	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul
11	श्री विनोद कुमार अहिरवार J.M.F.C., Bhaisdehi	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., Bhaisdehi	श्री अतुलराज भलावी J.M.F.C., Betul	श्री दीनानाथ वाड्डिवा J.M.F.C., Betul
12	श्री धर्मन्द्र खण्डायत J.M.F.C. आमला	श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा J.M.F.C., Amla	श्रीमती कमला गौतम, J.M.F.C., Multai	श्रीमति रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C., Multai
13	श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा J.M.F.C., Amla	श्री धर्मन्द्र खण्डायत, J.M.F.C., Amla	श्रीमति रंजीता राव सोलंकी J.M.F.C., Multai	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C., Multai

नोट:- सम्पूर्ण बैतूल जिले के आरक्षी केन्द्रों से उत्पन्न होने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत धारा 164 द.प्र.सं.0 के तहत कथन, अनीता खजूरिया न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, बैतूल द्वारा लिपिबद्ध किये जायेगे एवं उनकी अनुपस्थिति में परिशिष्ट "ब" के अनुसार कार्य किया जावेगा।

(ए.के. इंदेलिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला बैतूल म०प्र०

--- परिशिष्ट - 'स' ---

बलात्कार से संबंधित प्रकरणों में पीड़ित महिलाओं के धारा 164 द.प्र.सं. के कथन अंकित किए जाने हेतु निम्नानुसार कार्यभार सौंपा जाता है :

क्रमांक	न्यायिक अधिकारियों के नाम	आरक्षी केन्द्र
1.	अनीता खजूरिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र - गंज, बैतूल 2. आरक्षी केन्द्र - बैतूल बाजार 3. आरक्षी केन्द्र - कोतवाली बैतूल
2.	श्रीमती सुनीता ताराम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र - घोपना 2. आरक्षी केन्द्र - भैसादेही 3. आरक्षी केन्द्र - रानीपुर 4. आरक्षी केन्द्र - शाहपुर
3.	सुश्री श्वेता खरे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल	1. आरक्षी केन्द्र - विवोली 2. आरक्षी केन्द्र - झल्लार 3. आरक्षी केन्द्र - बीजादेही 4. आरक्षी केन्द्र - सारणी
4.	श्रीमति रंजीता राव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई	1. आरक्षी केन्द्र - आमला 2. आरक्षी केन्द्र - बोरदेही 3. आरक्षी केन्द्र - जीआरपी आमला
5.	श्रीमती कमला गौतम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई	1. आरक्षी केन्द्र - साईखेड़ा 2. आरक्षी केन्द्र - मुलताई

6. श्रीमती मंजूषा तेकाम
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैरादेही

1. आरक्षी केन्द्र आठनेर
2. आरक्षी केन्द्र मोहदा

--: परिशिष्ट -- 'द' :--

इस सारणी में जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालयों में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों के अवकाश पर रहने या अनुपस्थिति की दशा में --: परिशिष्ट -- 'स' :-- के अनुसार कार्य के संपादन हेतु उनके नामों के समक्ष (क्रम में) मजिस्ट्रेट कार्य करेंगे --

अनु क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	कॉलम नं.-02 के मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02 व 03 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे	कॉलम नं.-02, 03 व 04 के मजिस्ट्रेटों की अनुपस्थिति में जो मजिस्ट्रेट कार्य देखेंगे
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.	अनीता खजूरिया J.M.F.C., Betul	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C., Multai
2.	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul	अनीता खजूरिया J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	श्रीमति रंजीताराव सोलंकी J.M.F.C., Multai
3.	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	श्रीमती सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul	अनीता खजूरिया J.M.F.C., Betul	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., Bhainsdehi
4.	श्रीमति रंजीताराव सोलंकी J.M.F.C., Multai	श्रीमति सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul	अनीता खजूरिया J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul
5.	श्रीमती कमला गौतम J.M.F.C., Multai	श्रीमति रंजीताराव सोलंकी J.M.F.C., Multai	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul	अनीता खजूरिया J.M.F.C., Betul
6.	श्रीमती मंजूषा तेकाम J.M.F.C., Bhainsdehi	अनीता खजूरिया J.M.F.C., Betul	श्रीमति सुनीता ताराम J.M.F.C., Betul	सुश्री श्वेता खरे J.M.F.C., Betul


(ए.के. दंदेलिया)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
जिला-बैतूल (म.प्र.)

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल की ओर उक्त आपराधिक कार्यविभाजन पत्रक अनुमोदन हेतु सादर प्रेषित है।

(अनुमोदित)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बैतूल (म.प्र.)

प्रतिलिपि:-

- (1) माननीय प्रिंसिपल रजिस्ट्रार महोदय (न्यायिक), उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर।
- (2) श्रीमती अनीता खजुरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (3) श्री अतुलराज भलावी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (4) श्री गौतम सिंह मरकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (5) श्री दीनानाथ वाडिवा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (6) श्रीमती सुनीता ताराम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (7) सुश्री श्वेता खरे, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैतूल।
- (8) श्रीमती रंजीता राव सोलंकी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई।
- (9) श्रीमति कमला गौतम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मुलताई।
- (10) श्री धर्मेन्द्र खण्डायत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला।
- (11) श्री सिद्धार्थ कुमार शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला।
- (12) श्रीमती मंजूषा तेकाम, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैंसदेही।
- (13) श्री विनोद कुमार अहिरवार न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भैंसदेही।
- (14) प्रस्तुतकार, माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल।
- (15) कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, बैतूल।
- (16) अभिभाषक संघ, बैतूल/मुलताई/भैंसदेही/आमला।
- (17) जिला अभियोजन अधिकारी, बैतूल।
- (18) श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय, बैतूल।
- (19) श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, बैतूल।
- (20) श्रीमान मुख्य वनसंरक्षक महोदय, बैतूल।
- (21) जिला आबकारी अधिकारी, बैतूल।
- (22) जिला परिवहन अधिकारी, बैतूल।
- (23) किशोर न्याय बोर्ड बैतूल।।
- (24) श्रम विभाग, बैतूल।
- (25) थाना प्रभारी, थाना कोतवाली बैतूल/गंज बैतूल/ सारनी/जी.आर.पी.आमला / झल्लार/ बीजादेही/ए.जे.के.बैतूल/शाहपुर/चोपना/रानीपुर/बैतूलबाजार/मुलताई/साईखेडा/बोरदेही/आमला/भैंसदेही/चिचोली/आठनेर/मोहदा। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


 (ए.के. द.द.द.)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बैतूल
 जिला-बैतूल (म.प्र.)